

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

मैनुअल-7

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना

(The Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public in relation to formulation of its policy or implementation there of)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,
जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

सूचना का अधिकार अधिनियम –2005
मैनुअल-7

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उसके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के संबंध में सूचना

(The Particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public in relation to formulation of its policy or implementation thereof)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में फील्ड स्तर पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी लागू व्यवस्था के संपादन एवं संशोधन हेतु आवश्यकतानुसार परामर्श करता है, जिसके प्रस्ताव को लागू करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरान्त शासन को स्वीकृतार्थ प्रेषित किये जाते हैं।